बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २८ अप्रील १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

रांची में अधिवेशन।

*३१८। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि

क्या यह बात सही है कि सरकार इस साल बिहार विधान सभा का अगला अधिवेशन रांची में करने का निश्चय करने जा रही है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह विषय अभी भी विचाराधीन है।

IRON SCANDAL CASE OF DIGHWARA.

466. **Shri HARIHAR PRASAD SINGH**: Will the Minister, Law (Judicial) Department, be pleased to state—

(*a*) the total number of sittings of the Committing Court, Patna and the average approximate time taken in each sitting of the Iron Scandal Case of Dighwara;

(*b*) the amount paid to the special P. P. and the A. P. Ps. in the case at the stage of commitment and subsequent stages separately;

(*c*) whether it is a fact that the High Court, Patna censured and transferred the Officer of the Committing Court;

(*d*) what was the opinion of the Adovcate-General in the matter of preferring an appeal in the case?

Shri SHIVA NANDAN MANDAL: (*a*) The total number of sittings of the Committing Court was 176. The total time for which the Court sat would be approximately 656 hours. The average approximately time taken in each sitting thus comes to 334 hours.

(*b*) In all, a sum of Rs. 1,33,425 has been paid to the Special P. P. and Rs. 63,305 to the A. P. Ps. Thus a toal sum of Rs. 1,96,730 has been pad in all to the special P. P. and A. P. Ps. Out of this Rs. 1,78,030 had been paid up to the stage of the conviction of the accused.

---

*सदस्य की अनुपस्थिति में श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल के अनुरोध से उत्तर दिया गया।

(c) The High Court did not exactly censure the officer but strongly deprecated the manner in which the case had been dragged on for an inordinately long time and transferred the case to another court. The officer in question was also transferred from Patna because he had completed the term of posting at Patna.

(d) The opinion of the Advocate-General has not yet been taken. It will be taken shortly.

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—हाई कोर्ट ने जो बातें इनके सम्बन्ध में कही है, उनके रहते हुए भी सरकार किस आधार पर यह कहती है कि हाई कोर्ट ने एक्जेक्टली सेन्सर नहीं किया है ?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—सेन्सर का जो माने है वही माने है। डिस्एप्रूव करना दूसरी बात है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—

"The High Court did not exactly censure the officer" इसका क्या माने है ?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—सेन्सर होने से प्रोसिडिंग ड्रॉ करनी पड़ती है और उनको पनिशमेन्ट देना पड़ता है। लेकिन डिस्एप्रूवल में ऐसा नहीं करना पड़ता है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—हाई कोर्ट ने उनके यहां से केस को हटा कर दूसरे अफसर के पास भेजा तो वह किस आधार पर भेजा ?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—इसका जवाब तो पहले ही दे दिया गया है। उन्होंने बहुत टाइम लिया और इस वजह से वह केस दूसरे के यहां भेज दिया गया।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—क्या यह बात सही है कि सेसन जज ने अपने जजमेन्ट में रिमार्क्स किया है कि एक्युज्ड के खिलाफ कन्सपीरेसी साबित नहीं हुई। लेकिन यह कन्सपीरेसी दोनों तरफ के वकीलों और कोर्ट ने केस को ज्यादा दिन ले चलने के लिए किया, यह साबित होती है ?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने जजमेंट को देखने की मेहरबानी की है या नहीं ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—जब उस अफसर के (कंडक्ट) आचरण को हाई कोर्ट ने डिस्एप्रूव किया तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की ?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसके बारे में रिमार्क्स हाई कोर्ट ने किस तारीख को दिया?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—तारीख अभी मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—कौन अफसर्स थे जो स्पेशल पी० पी० और ए० पी० पीज० की बहाली के लिए उत्तरदायी थे?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—गवर्नमेंट ने एप्वायेंट किया था।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—गवर्नमेंट ने अपनी इनीशिएटिव पर या किसी के रिकौमेंडेशन पर बहाल किया?

श्री राम चरित्र सिंह—यह प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया तो क्या वही स्पेशल पी० पी० या ए० पी० पीज० वहां भेजे गये?

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—वे ही रहे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बाद भी सरकार ने किस आधार पर इसकी जरूरत समझी कि वे इस केस को कंटीनिउ करें?

अध्यक्ष—क्या हाई कोर्ट का रिमार्क्स स्पेशल पी० पी० और ए० पी० पीज० के खिलाफ है?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—जी हां।

अध्यक्ष—इस प्रश्न को पोस्टपोन करना चाहिए।

श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—जी हां, इसे पोस्ट पोन कर दिया जाय।

DEPUTATION OF SHRI R. CHOUDHARY.

510. **Shri PRABHUNATH SINGH**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Shri R. Choudhary Sub-Deputy Magistrate, of Sitamarhi, was deputed to break open the lock of the Sitamarhi Central Co-operative Union;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, the circumstances and law under which it was done?